

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम [आर.ए.एस.]
प्रकरण संख्या: 351 / 2025(जी.सी.एम.एस. 2025 / 500)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. परमजीत सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी गंगा गौरीवाला सिरसा, हरियाणा।		1. अमृतपाल सिंह पुत्र बुग्गा जाति जटसिख निवासी 4 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 2. हरमन्दर सिंह पुत्र चड सिंह जाति जटसिख निवासी 4 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 3. गुरकीरत सिंह पुत्र राजवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 4 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 4. राजवीर सिंह पुत्र हरमन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी 4 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 5. नरेन्द्रपाल सिंह पुत्र बुग्गा सिंह जाति जटसिख निवासी 4 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 6. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 18.08.2025

उपस्थित: 1. श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी

2. श्री ईकबाल सिंह ढिल्लों अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 5

—निर्णय—

दिनांक: 21.11.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 7 डब्ल्यू, पटवार हल्का रामगढ संगर, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 26/24 के मुर्ब्बा नम्बर 27, 32, 41, 48/9 की कुल 7.527 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम तथा राजस्व ग्राम 4 ओ, पटवार हल्का लखियां, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 56/54 के मुर्ब्बा नम्बर 23, 48, 55 की कुल 7.844 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.535 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1.187 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 0.711 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 4 के नाम 1.265 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 5 के नाम 2.185 हैक्टेयर भूमि व राजस्व ग्राम 4 ओ, पटवार हल्का लखियां, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 57/30 के मुर्ब्बा नम्बर 17, 48, 55 की कुल 7.590 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.793 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 0.555 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज 0.240 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार व आपस में जान पहचान व चक के स्थायी काश्तकार है, जिनके द्वारा अपनी-अपनी भूमि का आपसी सहूलियत व कृषि भूमि कार्यों की सुविधाओं के अनुसार रकबा का काफी समय से बंटवारा कर रखा है। बंटवारानामा अनुसार वादी ने अपने नाम से दर्ज चक 7 डब्ल्यू के खाता संख्या 26 की कुल 7.5270 हैक्टेयर भूमि में से 4.958 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अमृतपाल सिंह को 1.328 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 2 हरमन्दर सिंह को 1.187 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 3 गुरकीरत सिंह को 0.938 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 4 राजवीर सिंह को 1.265 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 5 नरेन्द्रपाल सिंह को, 0.240 हैक्टेयर भूमि सुपुर्द की हुई है। इसी प्रकार से राजस्व ग्राम 4 ओ, पटवार हल्का लखियां, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 56/54 के मुर्ब्बा नम्बर 23, 48, 55 की कुल 7.844 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.535 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 1.187 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज 0.383 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज 1.265 हैक्टेयर भूमि, कुल 3.370 हैक्टेयर भूमि, राजस्व ग्राम 4 ओ, पटवार हल्का लखियां, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 57/30 के मुर्ब्बा नम्बर 17, 48, 55 की कुल 7.590 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज



सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी

0.793 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज 0.240 हैक्टेयर भूमि, कुल 1.588 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज 0.555 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 5 भूमि वादी को सुपुर्द की हुई है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रकरण में कुल 4.958 हैक्टेयर का बंटवारा अवश्य किया हुआ है, लेकिन प्राप्तशुदा रकबा का अंकन अलग-अलग खातों में वर्णित है तथा राजस्व अभिलेख में भी अलग अलग रकबा का अंकन अलग-अलग खातों में वर्णित है। इस कारण वादी को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। वादी अपने हिस्सा की कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादी को राजस्व ग्राम 4 ओ, पटवार हल्का लखियां, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 56/54 के मुरब्बा नम्बर 23, 48, 55 की कुल 7.844 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.535 हैक्टेयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 1.187 हैक्टेयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज 0.383 हैक्टेयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज 1.265 हैक्टेयर भूमि का, कुल 3.370 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर, उनके नाम से राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर को सादिर डिक्री जारी की जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री ईकबाल सिंह ढिल्लों उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। काउन्टर क्लेम के अनुसार वादी के नाम दर्ज राजस्व ग्राम 7 डब्ल्यू, पटवार हल्का रामगढ संगर, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 26/24 के मुरब्बा नम्बर 27, 32, 41, 48/9 की कुल 7.527 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 अमृतपाल सिंह को 1.328 हैक्टेयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 2 हरमन्दर सिंह को 1.187 हैक्टेयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 3 गुरकीरत सिंह को 0.938 हैक्टेयर का, प्रतिवादी संख्या 4 राजवीर सिंह को 1.265 हैक्टेयर का, प्रतिवादी संख्या 5 नरेन्द्रपाल सिंह को, 0.240 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे। हस्तगत प्रकरण में वादी को प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार है तथा प्रतिवादीगण को वादी का वादपत्र स्वीकार है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादी का वादपत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।
3. बहस सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादी का वादपत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम, उभयपक्ष की सहमति अनुसार डिक्री किये जाने की ईशतदुआ की है। वादी के वादपत्र मय शपथपत्र, जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी का वाद पत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम मुताबिक डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

--:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी, प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 4 ओ, पटवार हल्का लखियां, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 56/54 के मुरब्बा नम्बर 23, 48, 55 की कुल 7.844 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.535 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 1.187 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज 0.711 हैक्टेयर भूमि में से 0.383 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज 1.265 हैक्टेयर भूमि, कुल



जिलाधिकारी कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

3.370 हैक्टेयर भूमि, राजस्व ग्राम 4 ओ, पटवार हल्का लखियां, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 57/30 के मुरब्बा नम्बर 17, 48, 55 की कुल 7.590 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.793 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज 0.555 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज 0.760 हैक्टेयर भूमि में से 0.240 हैक्टेयर भूमि, कुल 1.588 हैक्टेयर, दोनों खातो में कुल 4.958 हैक्टेयर भूमि का वादी परमजीत सिंह पुत्र करतार सिंह को तथा वादी परमजीत सिंह पुत्र करतार सिंह के नाम दर्ज राजस्व ग्राम 7 डब्ल्यू, पटवार हल्का रामगढ संगर, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 26/24 के मुरब्बा नम्बर 27, 32, 41, 48/9 की कुल 7.527 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 अमृतपाल सिंह को 1.328 हैक्टेयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 2 हरमन्दर सिंह को 1.187 हैक्टेयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 3 गुरकीरत सिंह को 0.938 हैक्टेयर का, प्रतिवादी संख्या 4 राजवीर सिंह को 1.265 हैक्टेयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 5 नरेन्द्रपाल सिंह को 0.240 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाबता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 21.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)



अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाक्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
परमजीत सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी गंगा गोरीवाला सिरसा, हरियाणा।		1. अमृतपाल सिंह पुत्र बुग्गा जाति जटसिख निवासी 4 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 2. हरमन्दर सिंह पुत्र चड सिंह जाति जटसिख निवासी 4 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 3. गुरकीरत सिंह पुत्र राजवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 4 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 4. राजवीर सिंह पुत्र हरमन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी 4 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 5. नरेन्द्रपाल सिंह पुत्र बुग्गा सिंह जाति जटसिख निवासी 4 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 6. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वादपत्र धारा अन्तर्गत 88, 91, 209 आरटीए

मुकदमा नम्बर 351/2025

निर्णय दिनांक :-21.11.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजु व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 4 ओ, पटवार हल्का लखियां, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 56/54 के मुख्बा नम्बर 23, 48, 55 की कुल 7.844 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.535 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 1.187 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज 0.711 हैक्टेयर भूमि में से 0.383 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज 1.265 हैक्टेयर भूमि, कुल 3.370 हैक्टेयर भूमि, राजस्व ग्राम 4 ओ, पटवार हल्का लखियां, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 57/30 के मुख्बा नम्बर 17, 48, 55 की कुल 7.590 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.793 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज 0.555 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज 0.760 हैक्टेयर भूमि में से 0.240 हैक्टेयर भूमि, कुल 1.588 हैक्टेयर, दोनों खातो में कुल 4.958 हैक्टेयर भूमि का वादी परमजीत सिंह पुत्र करतार सिंह को तथा वादी परमजीत सिंह पुत्र करतार सिंह के नाम दर्ज राजस्व ग्राम 7 डब्ल्यू, पटवार हल्का रामगढ संगर, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 26/24 के मुख्बा नम्बर 27, 32, 41, 48/9 की कुल 7.527 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 अमृतपाल सिंह को 1.328 हैक्टेयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 2 हरमन्दर सिंह को 1.187 हैक्टेयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 3 गुरकीरत सिंह को 0.938 हैक्टेयर का, प्रतिवादी संख्या 4 राजवीर सिंह को 1.265 हैक्टेयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 5 नरेन्द्रपाल सिंह को 0.240 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 21.11.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	300	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	304	00	योग	04	00

{श्योरामे (आर.ए.एस)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

दिनांक: 21.11.2025

क्रमांक: रीडर/2025/860

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालन रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योरामे (आर.ए.एस)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

